परिपत्र संख्या 15/2013

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
''कर–भवन'', अजमेर

कमांकः एफ–7(507)परिपत्र/13/ 7501 दिनांकः 7-8-13

–::परिपत्र::–

सभी वृताधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जब भी वह अपने क्षेत्राधीन उप पंजीयक कार्यालयों का निरीक्षण करें तो इन कार्यालयों में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों की समीक्षात्मक टिप्पणी का उल्लेख अपनी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगें।

निरीक्षण किये जाने के मुख्य बिन्दुओं में न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा हेतु निम्न बिन्दुओं को प्राथमिकता देवें :–

1. सरकार के विरूद्ध दायर प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत किये जाने की स्थिति। प्रकरण में तीन माह के भीतर आवश्यक रूप से जवाब दायर किया जाना होता है। इस निर्देश की पालना नहीं पाये जाने पर कार्यवाही प्रस्तावित करें।
2. सरकार की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली रिट दायर करने की स्थिति।
3. महत्वपूर्ण प्रकृति के रेड कैटेगरी प्रकरण कितने है एवं उनकी प्रास्थिति क्या है ?
4. निर्णित न्यायिक प्रकरणों की सूचना लाइट्स के फॉरमेट 8 में निर्णय की प्रति व संबंधित अधिवक्ता की राय सहित मुख्यालय को उपलब्ध करवाये जाने हेतु लम्बित प्रकरणों की स्थिति।
5. जिन न्यायिक प्रकरणों में सरकार के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं ऐसे लम्बित प्रकरणों की स्थिति एवं स्टे वैकेट कराने के प्रयासों की रिपोर्ट।
6. सरकार की ओर से किसी आदेश के विरूद्ध दायर की जाने वाली रिट याचिकाओं में सरकार के विरूद्ध किये गये निर्णयों की सूचना एवं उनको स्थगित करवाने के प्रयासों की रिपोर्ट।

उपरोक्तानुसार निर्देशों की आप द्वारा पालना नहीं किये जाने को निरीक्षण में की गई लापरवाही माना जावेगा। अतः उपरोक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करावें।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

कमांकः एफ–7(507)विधि/न्याय वेब/13/ 7502-7902 दिनांकः 7-8-13

संयुक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वित्त शासन सचिव (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर को बैठक दिनांक 08.07.13 में दिय निर्देशों की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, लेखापरीक्षा–II, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीशों का पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली। (पांच प्रतियों में)
6. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
10. लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
11. उप/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय–अजमेर।
12. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
13. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
14. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
15. नलिन जी. नारायण डिप्टी काउंसिल राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
16. श्री के.के. बिस्सा, राजकीय अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
17. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
18. ए.सी.पी., मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर।
20. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
21. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक।
22. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर